न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 42/18 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. वीरमती देवी पुत्री फकीरा पत्नी रूपचन्द जाति जाट निवासी मातोर हाल निवासी हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:–– वादनी/अपीलांट

बनाम

1 फकीरा पुत्र मंगल उर्फ मंगतू जाति जाट निवासी मातोर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान (मृतक)

1/1. गीता देवी पत्नी रतीराम

1/2. चिडिया देवी पत्नी सुरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मातोर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

2. राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर

3. उप पंजीयक मुण्डावर जिला अलवर

:––– असल प्रतिवादीगण/असल रेस्पो0

4. मथुरी देवी पुत्री फकीरा पत्नी सन्तराम जाति जाट हाल निवासी हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

5. सुमन देवी पुत्री फकीरा पत्नी सन्तराम जाति जाट निवासी हरसौली

16/12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

6 भरपाई पुत्री फकीरा पत्नी शिशराम जाति जाट निवासी बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर

7 सुनीता पुत्री फकीरा पत्नी ताराचन्द जाति जाट निवासी हाल बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर

8 वीरसिंह

9. रामेश्वर

10. लवनलाल पुत्रान सुल्तान जाति जाट निवासी मातौर

11 रणसिंह

12 भौरेलाल

13 सांवलराम

14 भरतसिंह

15 वेदपाल पुत्रान जस्सूराम

16 चांदबाई बेवा जस्सूराम जाति जाट निवासी मातौर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:-- तरतीबी प्रतिवादीगण/तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर

दिनांक 23.2.2018

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री शीतल प्रसाद चौधरी

2. वकील रेस्पो0 :- श्री विनोद यादव

16/12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय दिनांक 16.12.19

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 197//2013 में पारित निर्णय दिनांक 23.2.2018 के खिलाफ है, जिसके द्वारा प्रार्थी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर वादिया का वाद बाबत इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हुकम इम्तनाई दवामी खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया वीरमती ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात कुल किता 12 कुल रकबा 4.13 हेक्टेयर वाके ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर वादिया व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 01 की हिन्दू मुश्तर्का खानदान की पैत्रिक दादालाई की आराजी है । जो आराजी वादिया के दादा मंगल की कब्जे काश्त खातेदारी की थी, जो जरिये विरासत प्रतिवादी नम्बर 01 को प्राप्त हुई । जिस आराजी में वादिया व तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हकूक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बाई बर्थ निहित है । परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 दीगर लोगों के बहकावे में आकर दादालाई की भूमि, जिसमें वादिया एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का हिस्सा निहित है, को मुन्तकिल करने पर उतारू है । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जावे ।

3 तहत अदालत में दौराने विचारण वाद प्रतिवादी गीतादेवी पत्नी रतीराम ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 फकीरा पुत्र मंगल उर्फ मंगतूराम ने वाद में वर्णित सालिम विवादित आराजीयात का बेचान जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 28.10.2013 प्रतिफल प्राप्त हम प्रतिवादीगण को कर दिया और मौके पर खरीददार प्रतिवादीगण का कब्जा करा दिया । तभी हम प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं । इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 का अब आराजी में कोई हक निहित नहीं रहा । इसलिये वादिया अब कोई रिलीफ पाने की अधिकारी नहीं है । वादिया को बयनामा को बातिल व बेअसर किसी सक्षम न्यायालय से कराना चाहिये, इसलिये मौजूदा वाद राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं है । इसलिये मौजूदा राजस्व न्यायालय

16/12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

के क्षेत्राधिकार में नहीं है । अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद खारिज किया जावे । तहत अदालत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदे श 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर वादिया का वाद खारिज किया है, जिसकी वादिया ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

4 बहस में विद्वान वकील वादिया अपीलांटा का कथन है कि विवादित आराजी दादालाई की भूमि है । जो वादिया के दादा मंगल उर्फ मंगतू की खातेदारी की थी । उक्त मंगल के फकीरा पुत्र हुआ । फकीरा के 5 लडकियां थी, जिनमें से एक वीरमत वादिया अपीलांटा है । वादिया अपीलांटा ने अपना हिस्सा लेने के लिये तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत किया । तहत अदालत द्वारा विवादित भूमि पर स्थगन जारी किया हुआ था । जिसकी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रिवीजन हुई । माननीय राजस्व मण्डल ने तहत अदालत उपखंड अधिकारी द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 16.7.13 की पालना आगामी पेशी तक स्थगित की थी । माननीय राजस्व मण्डल के इस आदेश के 12 दिनों तक तो भूमि का बेचान नहीं हुआ था, परन्तु दिनांक 28.7.13 को साजिशी तौर पर बयनामा करा दिया गया । तहत अदालत में हमने आदेश 6 नियम 17 व आदे श 1 नियम 10 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र हमने प्रस्तुत किये, जो स्वीकार हुये । इसके बाद संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत हुआ । इसके बाद नये खरीददार ने आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात उन्होंने रिकार्डेड खातेदार फकीरा से खरीद की है, फकीरा का अब विवादित आराजीयात में हक निहित नहीं रहा, वादिया ने बयनामा को कैंसिल कराना चाहा है, जो सिविल न्यायालय द्वारा ही देय है, इसलिये वाद पत्र क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज किया जावे । इस पर तहत अदालत ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मेरा वाद पत्र खारिज कर दिया । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा लिया जाता है, साक्ष्य ली जाती है, तत्पश्चात तनकियात कायम कर निर्णय किया जाता है । लेकिन तहत अदालत ने गौर नहीं किया । दौराने दावा प्रतिवादीगण रेस्पो0 ने भूमि खरीद की है । ये सदभावी केता नहीं है । इनका बयनामा नल एण्ड वॉयड है । इसलिये वाद पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है । माननीय राजस्व मण्डल ने बोनाफाईड स्टे किया था, परन्तु बदनियती से भूमि

16/12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

का बेचान कर दिया गया । तहत अदालत द्वारा पक्षकारान को मेरिटस पर सुनकर यह तय करना चाहिये था कि पक्षकार का अधिकार बनता है अथवा नहीं । गीता देवी अजनबी केता है, इसलिये वह किसी प्रकार की रिलीफ पाने के अधिकारी नहीं है । धारा 227 टिनेंसी एक्ट के अनुसार यदि प्रकरण राजस्व सम्बन्धी है तो राजस्व न्यायालय द्वारा ही ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जावेगा । आर0 आर0 डी0 1990 पेज 41 में प्रतिपादित किया गया है कि वाद के तथ्य यदि राजस्व के हैं तो राजस्व न्यायालय द्वारा ही ऐसे वाद का निस्तारण किया जावेगा । आर0 आर0 डी0 1993 पेज 433, 434 मे प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार बयनामा सही है या गलत, शून्य है अथवा निरस्तीकरण योग्य है, इन सारे प्रश्नों को राजस्व न्यायालय ही तय करेगा । आर0 आर0 टी0 2019 (1) पेज 116–120 में आदेश 7 नियम 11 की व्याख्या करते हुये प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपत्ति को जवाब दावा में ही उठाया जा सकता है । ऐसा ही मत आर0 आर0 टी0 2010 (2) पेज 1336–1340 में भी प्रतिपादित किया गया है । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी आपत्ति जवाब दावा में नहीं उठाई गई थी । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार फकीरा था । उससे हमने भूमि जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की है और वक्त खरीद से ही हमारा कब्जा चला आ रहा है । अब फकीरा का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । जब विवादित भूमि से फकीरा का कोई सम्बन्ध नहीं रहा तो इनको विवादित भूमि के सम्बन्ध में वाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई राईट नहीं रहा । हम सदभावी केता हैं । इन्होंने वाद पत्र में मेरे बयनामा को कैंसिल कराने की रिलीफ चाही है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन बयनामा को कैंसिल करने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को हीं है, जैसा कि आर0 एल0 डब्ल्यू0 2012 (1) राज0 उच्च न्यायालय पेज 187 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है । इसके अतिरिक्त 1986 आर.0 आर0 डी0 पेज 548 में अभिनिर्धारित किया गया है कि सिविल न्यायालय ही यह तय करेगा कि वक्त बयनामा कौन खातेदार है, क्या बेचान सही है । अन्त में मेरा निवेदन है कि प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य जोर हमारे बयनामा को कैंसिल कराने पर दिया गया है, जिस बिन्दू को तय करने

16/12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है । इसलिये हमारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 तहत अदालत द्वारा विधिसम्मत स्वीकार किया गया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

6 जवाब बहस में विद्वान वकील अपीलांट का पुनः कहना है कि बयनामा स्थगन के रहते कराया गया है, स्थगन का नोट जमाबन्दी में था । बयनामा में भी वाद के विचाराधीन रहने का नोट अंकित है । इसलिये बयनामा पंजियन नियम 39 के तहत ही पंजीबद्ध किया गया है । इन सब स्थितियों से सिद्ध है कि ये सदभावी केता न होकर अजनबी केता है और अजनबी केता को कोई राईट नहीं मिलता । विवादित भूमि दादालाई की भूमि है, जिसमें कानूनन बाई बर्थ हमारा अधिकार है । परन्तु फकीरा ने गलत तौर सम्पूर्ण आराजी का बेचान कर दिया । ज्यादा से ज्यादा वह अपना ही हिस्सा बेच सकता है,जैसा कि कानून में प्रतिपादित किया गया है कि पैत्रिक सम्पत्ति में व्यक्ति अपना ही हिस्सा बेच सकता है ।

7 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही पक्षकारान वकील द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया । मौजूदा प्रकरण में वादिया ने वाद पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी को पैत्रिक बताते हुये अपने हिस्से पर खातेदारी चाही है और प्रतिवादी रेस्पो0 के हम में प्रतिवादी नम्बर 01 फकीरा द्वारा कराये गये बयनामा को बातिल व बेअसर कराने दिलाने का भी अनुतोष चाहा है । दौराने विचारण वाद प्रतिवादी गीता देवी ने आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि बयनामा को कैंसिल कराने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को है, इसलिये वाद पत्र क्षेत्राधिकार में न होने के कारण खारिज किया जावे । तहत अदालत द्वारा प्रतिवादी गीता देवी का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर वादिया का वाद खारिज किया है, जिसकी वादिया ने यह अपील प्रस्तुत की है । इस सम्बन्ध में हमने विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई नजीरों एव सी0 पी0 सी0 के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों का अध्ययन किया । विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आर0 आर0 टी0 2010 (2) पेज 1337 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र में उठाये गये प्रश्न तथ्य व कानून के मिश्रिम प्रश्न है

16/12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

एवं न्याय निर्णयन हेतु साक्ष्य की आवश्यकता है । इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल की नवीन नजीर 2019 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 116 में माननीय राजस्व मण्डल ने आदेश 7 नियम 11 के मामले में प्रतिपादित किया है कि प्रारम्भिक स्तर पर आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत घोषणा हेतु वाद खारिज नहीं किया जा सकता ।

8 तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया गया था और दावा व जवाब दावा के आधार पर 4 तनकियात भी कायम कर दी गई थी । इसके बावजूद तहत अदालत द्वारा आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया और वाद पत्र खारिज कर दिया गया, जिसे कि विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता । क्योंकि आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में उठाये गये प्रश्न विधि एवं तथ्यों के मिश्रित प्रश्न होते हैं, जिन्हें साक्ष्य लेकर विधि अनुकूल निस्तारित किया जाता है । प्रारम्भिक स्तर पर ही वाद पत्र खारिज नहीं किया जा सकता । तहत अदालत को चाहिये था कि जब जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया गया था तो गुणावगुण की तनकियों के साथ साथ क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में भी विधिक तनकी कायम की जानी चाहिये थी । तत्पश्चात प्रत्येक तनकी पर उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर निर्णय करते । परन्तु विद्वान तहत अदालत ने ऐसी कोई प्रकिया नहीं अपनाई और प्रतिवादी का आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वादिया का उस प्रार्थना पत्र पर जवाब लेकर निर्णय पारित कर दिया गया जो कि विधिसम्मत नहीं है । विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरों मौजूदा प्रकरण पर लागू होती है ।

9 उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन उपरान्त तथा कानूनी नजीरों के अवलोकन उपरान्त इस अपीलीय न्यायालय का कानूनी मत है कि तहत अदालत द्वारा निम्न बिन्दुओं पर गौर किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है :-

(1) क्या विवादित आराजी में वादिया का पैत्रिक सम्पत्ति होने के नाते हित व हिस्सा निहित है या नहीं ।

(2) क्या लिसपेंडेंसी ऑफ स्यूट विवादित आराजी के बेचान से वादिया का खातेदारी अधिकार है या नहीं ।

(3) क्या विवादित आराजी पर किसी राजस्व न्यायालय का कोई स्थगन आदेश अंकित था और क्या स्थगन आदेश के दौरान विवादित आराजी का बेचान किया गया था ।

16/12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(4) क्या बयनामा ऐब इनिशियो वॉयडेबल है या नल एण्ड वॉयड है और राजस्व न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार है ।

(5) क्या आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 के प्रावधानों के आधार पर वाद वादिया काबिज खारिज है ।

10. उपरोक्त पैरा नम्बर 09 के बिन्दू संख्या 5 के सम्बन्ध में हम उपर विवेचन कर चुके हैं । अर्थात तहत अदालत में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया गया था और तनकियात भी कायम की जा चुकी थी तो तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था । आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र में उठाये गये प्रश्न विधि एवं तथ्यों के मिश्रित प्रश्नों होते हैं । जिन्हें उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर विधि में दिये गये प्रावधानों के अनुसरण में तय किये जाते हैं । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम प्रकरण को गुणावगुण पर तनकीवार निर्णीत करने हेतु रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

11. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.2.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि इस निर्णय के पैरा नम्बर 09 के बिन्दू संख्या 01 से 04 पर उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य ली जाकर विस्तृत विवेचन करते हुये पुनः गुणावगुण पर न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष तहत अदालत में वास्ते सुनवाई दिनांक 15.1.2020 को उपस्थित हो ।

12 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । 16/12/19

(कमल राम मीना)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 42/18 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. वीरमती देवी पुत्री फकीरा पत्नी रूपचन्द जाति जाट निवासी मातोर हाल निवासी हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:–– वादनी/अपीलांट

बनाम

1 फकीरा पुत्र मंगल उर्फ मंगतू जाति जाट निवासी मातोर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान (मृतक)

1/1. गीता देवी पत्नी रतीराम

1/2. चिडिया देवी पत्नी सुरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मातोर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

2. राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर

3. उप पंजीयक मुण्डावर जिला अलवर

:––– असल प्रतिवादीगण/असल रेस्पो0

4. मथुरी देवी पुत्री फकीरा पत्नी सन्तराम जाति जाट हाल निवासी हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

5. सुमन देवी पुत्री फकीरा पत्नी सन्तराम जाति जाट निवासी हरसौली

6/4/2020

तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

6 भरपाई पुत्री फकीरा पत्नी शिशराम जाति जाट निवासी बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर

7 सुनीता पुत्री फकीरा पत्नी ताराचन्द जाति जाट निवासी हाल बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर

8 वीरसिंह

9. रामेश्वर

10. लवनलाल पुत्रान सुल्तान जाति जाट निवासी मातौर

11 रणसिंह

12 भौरेलाल

13 सांवलराम

14 भरतसिंह

15 वेदपाल पुत्रान जस्सूराम

16 चांदबाई बेवा जस्सूराम जाति जाट निवासी मातौर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:-- तरतीबी प्रतिवादीगण/तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर

दिनांक 23.2.2018

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री शीतल प्रसाद चौधरी

2. वकील रेस्पो0 :- श्री विनोद यादव

6/2/2024

निर्णय दिनांक 16.12.19

संशोधित आदेश दिनांक 6.2.2020

उपरोक्त उनवानी अपील प्रकरण में अदालत हाजा द्वारा दिनांक 16.12.2019 को निर्णय पारित किया जाकर अपील प्रकरण का निस्तारण किया गया था ।

प्रार्थी अपीलांटा के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब की गई । प्रार्थी अपीलांटा ने अपने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि उक्त निर्णय के शीर्षक में सहवन से रेस्पो0 संख्या 01 फकीरा पुत्र मंगल उर्फ मंगतू को मृतक दर्ज कर दिया गया है,जबकि अपील शीर्षक में उसके साथ मृतक शब्द अंकित नहीं है और फकीरा अभी जीवित है । अतः रेस्पो0 संख्या 01 के साथ टंकित मृतक शब्द को डिलीट किया जावे ।

हमने अपील शीर्षक एवं अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 16.12.2019 का अवलोकन किया तो पाया कि अपील शीर्षक में रेस्पो0 संख्या 01 फकीरा के साथ मृतक शब्द टंकित नहीं है और निर्णय दिनांक 16.12.2019 के टाईटल में उसके नाम के साथ मृतक शब्द टंकित हो गया है, जो कि एक टंकणीय भूल है तथा यह भूल धारा 152 सी0 पी0 सी0. में दिये गये प्रावधानों के अनुसरण में दुरूस्ती योग्य है ।

अतः प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश है कि अदालत हाजा द्वारा इस अपील प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2019 के टाईटल में से रेस्पो0 संख्या 01 फकीरा के नाम के साथ टंकित मृतक शब्द को डिलीट किया जाता है ।

प्रार्थना पत्र फैसल शुमार हो ।

6/2/2020

(कमल राम मीना)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर